न्यायालयः–प्रथम जिला न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुघ र्टना दावा अधिकरण, भोपाल (म0प्र0)
(समक्ष–स्वयं प्रकाश दुबे)

एम.ए.सी.सी. क्रमांक	2862 / 2022
संस्थापित दिनांक	12–10–2022
फाईलिंग नम्बर	4688 / 2022
फाईलिंग दिनांक	04–08–2022
सी.एन.आर.नं.–एम.पी.0401–030771–2022	

1.श्रीमती छाया बाई पत्नी स्व. सुखदेव मौर्य राजपूत, आयु लगभग 36 साल, (मृतक की पत्नी) **2.**ऋषि कश्यप मौर्य पिता स्व0 सुखदेव मौर्य राजपूत, आयु लगभग 17 साल, (मृतक का पुत्र) **3.**गौरी मौर्य पुत्री सुखदेव मौर्य राजपूत, आयु लगभग 15 साल, (मृतक की पुत्री) **4.**श्रीमती शांता बाई पत्नी स्व दातारसिंह मौर्य राजपूत, आयु लगभग 72 साल, (मृतक की माता) संरक्षिका माता श्रीमती छाया बाई पत्नी स्व.सुखदेव मौर्य राजपूत, निवासी–मकान न0–321, राम मंदिर चौक, ग्राम मोरदड, पोस्ट सिंगोट जिला खंडवा पूर्व निमाड़, म.प्र. पिन कोड–450881 हाल निवासी–ग्राम रतनपुर सड़क जिला भोपाल।	............आवेदकगण

–:: *विरूद्ध* ::–

1.फारूख खान पुत्र शेख बशीर, निवासी–छोटी नदी, लककड़ बाजार, जाट मोहल्ला, खंडवा जिला खंडवा म0प्र0–450001 पिन कोड–450001	

(पिकअप वैन क.–एम0पी0–65–जीए–1973 का चालक) **2.**शेख फारूख पुत्र शेख कय्यूम,निवासी–मोघट थाना के पीछे, पटेल मार्ग, एमएलबी वार्ड 39, खंडवा जिला खंडवा म0प्र0 म.प्र. पिन कोड–450001 (पिकअप वैन क.–एम0पी0–65जीए–1973 का मालिक) **3.**आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस क0लि0 द्वारा मंडल प्रबंधक, मंडल कार्यालय, चिनार काम्पलेक्स, आशिमा माल के सामने विध्या नगर थाना बागसेवनियां जिला भोपाल। म0प्र0 462043 पॉलिसी नं.–3003/230780528/00/800 वैधता दिनांक 01.11.2021 से 31.10.2022 तक (पिकअप वैन क.एम0पी065–जीए–1973 की बीमा कंपनी)	.................अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से	श्री रवि पंथ, अधिवक्ता।
अनावेदक क 1 व 2	एक पक्षीय।
अनावेदक क 3 बीमा कंपनी की ओर से	श्री ओ0पी0 श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

//अधिनिर्णय//

(आज दिनांक 29–09–2023 को घोषित)

(1) आवेदकागण द्वारा यह आवेदन–पत्र धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत 52,50,000/–(बावन लाख पचास हजार रूपए) क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

(2) प्रकरण में महत्वपूर्ण कोई स्वीकृत तथ्य नहीं हैं।

(3) आवेदकगण का दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 07.07.2022 को शाम 09:30 व 09:40 बजे अपनी मोटर साइकिल से खंडवा तरफ से अपने गांव आ रहा था। जैसे ही मछली पालन केन्द्र के सामने सिगोंट से लछोरा के बीच मेन रोड पर पहुंचा तभी सामने से पिकअप वैन क.

–एम0पी0–65जीए–1973 का चालक ने तेजी, लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर लाया और मोटर सायकल में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मोटर सायकल चालक वाहन सहित रोड पर गिर गया था। टक्कर लगने से सुखेदव के सिर से खून निकल रहा था बायें हाथ के पंजे पर व बायें पैर में चोट लगकर खून निकल रहा था एवं संपूर्ण शरीर में गंभीर चोट लगने से घायल हो गया था। उसे घायल अवस्था में घटना स्थल से 100 नंबर गाड़ी से शासकीय अस्पताल, खंडवा लाया गया, जहां उपचार के दौरान **सुखदेव मौर्य** की मृत्यु हो गयी। मृतक का शव परीक्षण शासकीय अस्पताल, खंडवा में किया गया।

(4) उपरोक्त दुर्घटना अना0क0–1 द्वारा पिकअप वैन क्र. –एम0पी0–65जीए–1973 को तेजी, लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक चलाने के परिणामस्वरूप हुई है। दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन अना0क0–2 के स्वामित्व का होकर अना0क0–3 के पास वैध रूप से बीमित था। इस प्रकार अनावेदकगण उपरोक्त दुर्घटना के लिए पूर्ण रूप से संयुक्तः एवं पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी हैं।

(5) उपरोक्त घटना की रिपोर्ट थाना–पिपलोद, जिला–खंडवा, म0प्र0 में दर्ज कराई गई। पुलिस के द्वारा अनावेदक क्र 1 के विरूद्ध अपराध क्रमांक 0257/2022 अंतर्गत धारा 279, 337 एवं 304ए भा.द.वि के अंतर्गत अपराध कायम किया गया। दुर्घटनाकारी वाहन अनावेदक क्र 2 के स्वामित्व का है तथा अनावेदक क्र. 3 दुर्घटनाकारी वाहन की बीमा कंपनी है। उक्त दुर्घटना अनावेदक क्र.1 के द्वारा वाहन कार क्रमांक पिकअप वैन क्र.–एम0पी0–65जीए–1973 को बहुत लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक ढंग से चालन किया, जिसके परिणामस्वरूप मृतक के साथ दुर्घटना घटित हुई है।

(6) मृतक दुर्घटना के पूर्व हष्ट–पुष्ट व्यक्ति होकर दूध विक्रय का व्यवसाय करता था जिससे मृतक को प्रतिमाह 10,000/–रू0 की आय होती थी। इसके अतिरिक्त खेती–किसानी का कार्य भी करता था, **जिससे मृतक** प्रतिवर्ष 4,00,000/–रू की आय अर्जित करता था। उक्त आय से मृतक उसके परिवार का पालन–पोषण करता था। मृतक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण आवेदकगण का भविष्य अंधकारमय हो गया है और वह बेसहारा हो गये हैं तथा आवेदकगण मृतक के प्यार व स्नेह से वंचित हो गये हैं। मृतक के इलाज, अंतिम संस्कार, मृत्यु

भोज इत्यादि में काफी धन व्यय हुआ है।

(7) इस प्रकार आवेदकगण, अनावेदकगण से उपरोक्त वर्णित क्षतिपूर्ति राशि और उस पर दुर्घटना दिनांक से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त होने तक आवेदकगण ने 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं, आवेदकगण को वाद कारण दिनांक 07.07.2022 को अधिकरण के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना दिनांक से जारी है और प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है, निर्धारित न्यायालय शुल्क पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसे सुनने की अधिकारिता इस अधिकरण को है। इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर राशि 52,50,000 / –(बावन लाख पचास हजार रूपए) की क्षतूिर्ति राशि मय ब्याज एवं वाद व्यय तथा अन्य कोई अनुतोष व सहायता सहित दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

(8) अनावेदक क 01 व 02 के विरूद्ध उनकी अनुपस्थिति के चलते आदेश पत्रिका दिनांक 08.02.2023 के अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति आवेदन पत्र का लिखित उत्तर अनावेदक कमांक 01 व 02 की ओर से प्रस्तुत नहीं किया है।

(9) अनावेदक क 03 बीमा कंपनी के द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर यह आपत्ति की गयी है कि दुर्घटना दि0 07–07–2022 के आधार पर क्षतिपूर्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि समय बाह्य होने से प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त बीमा कंपनी अना0क0–3 के द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित समस्त आक्षेपों को अस्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथन में अभिवचनित किया है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक वाहन चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी लायसेंस नहीं था। अना0क0–2 ने बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है। धारा 158(6) मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत संबंधित थाना पुलिस ने घटना की सूचना एवं विवरण दस्तावेज बीमा कंपनी को उपलब्ध नहीं कराये। कथित दुर्घटना की सूचना अनावेदक वाहन चालक एवं स्वामी द्वारा बीमा कंपनी को नहीं दी गई, जिस कारण से आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। दुर्घटना तिथि को मृतक बिना हेलमेट पहने बिना लायसेंस के अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था जो उसकी स्वयं की उपेक्षा व लापरवाही रही है दुर्घटना दो वाहनों के मध्य होना बतायी गयी है, ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति का आंकन कन्ट्रीब्यूटी नेगलीजेन्स के

आधार पर किया जाना न्यायोचित होगा। उपरोक्त कारणों से अनावेदक क0–3 बीमा कंपनी दुर्घटना की क्षतिपूर्ति राशि केक लिए उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार से उपरोक्त आधारों पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

(10) **उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किये गये हैं, जिनकी विस्तृत विवेचना पश्चात उनके निष्कर्ष अंकित किये जा रहे है–**

क.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	**क्या** दिनांक 07.07.2022 को शाम के लगभग 09:30 से 09:40 बजे के मध्य स्थान मछली पालन केन्द्र के सामने सिगोंट से लछोरा के बीच मेन रोड पर, अना0क0–1 द्वारा वाहन पिकअप वेन–क0 एम.पी. 65–जी0ए0–1973 को उपेक्षा या उतावलेपनपूर्वक चलाते हुए मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर **सुखदेव मौर्य** राजपूत की मृत्यु कारित की ?	**''प्रमाणित''**
2.	**क्या दुर्घटना कारित करने वाला** वाहन पिकअप वेन–क0 एम.पी.65–जी0ए0–1973 दुर्घटना दिनांक को बीमित था ?	**''अप्रमाणित''**
3.	**क्या अनावेदक क.1 द्वारा दुर्घटना दिनांक को उक्त** वाहन पिकअप वेन–क0 एम.पी.65–जी0ए0 –1973 को बीमा पालिसी की शर्तों के उल्लंघन में संचालित किया जा रहा था ?	**''अप्रमाणित''**
4	**क्या दुर्घटना स्वयं मृतक सुखदेव मौर्य राजपूत की लापरवाही अथवा योगदायी उपेक्षा के कारण हुई है?**	**''अप्रमाणित''**
5.	**क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से पृथकतः या**	''भागतः प्रमाणित''

	संयुक्ततः क्षतिपूर्ति राशि पाने के अधिकारी हैं ?	**20,55,000 / –(बीस लाख पचपन हजार रूपये) क्षतिपूर्ति अनावेदकगण से संयुक्त :/पृथकतः पाने के हकदार हैं।**
6.	सहायता एवं व्यय ?	**कंडिका 33 के अनुसार आवेदन भागतः स्वीकार ।**

–::निष्कर्ष के आधार ::–

वाद प्रश्न कमांक 1 का निष्कर्ष

(11) उपर्युक्त संबंध में आवेदकगण की ओर से **आवेदिका साक्षी छाया बाई (आ.सा.01)** के द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि उसके पति सुखदेव मौर्य दुर्घटना दिनांक 07–07–22 को रात समय लगभग 09:30 से 09:40 बजे अपनी मोटर साइकिल से खंडवा की तरफ से अपने गांव मोरदड़ आ रहे थे। जैसे ही उसके पति मछली पालन केन्द्र के सामने सिंगोट लछोरा के बीच पुहंचे, तभी सामने से आ रही पिकअप ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसके पति की मोटर साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसके पति मोटर साकिल सहित रोड पर गिर गये, टक्कर लगने के कारण उनके सिर, पैर और बायें हाथ में गंभीर चोटें कारित हुई जिससे उनके शरीर से बहुत खून बहा। घायल अवस्था में उसके पति को घटना स्थल से 100 नंबर पुलिस वाहन से शासकीय अस्पताल खंडवा लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी। उसके पति का शव परीक्षण शासकीय अस्पताल खंडवा में किया गया।

(12) **आवेदक साक्षी छाया बाई (आ.सा.01)** के द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–1, शवपरीक्षण के लिये आवेदन पी0एम0 रिपोर्ट प्रपी–2, मुख्य चिकित्सालय खंडवा की मृत्यु सूचना रिपोर्ट प्रपी–3, रजिस्टर अकाल मृत्यु सूचना धारा 174 प्रपी–4, अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीयन प्र0पी0–5, अपराध विवरण फार्म प्रपी–6, नोटिस अंतर्गत धारा 133 (मालिक को) प्रपी–7, संपत्ति जप्ती पत्रक प्रपी–8, वाहन मालिक के कथन प्रपी–9, चालक का उपस्थिति पंचनामा प्रपी–10, सूचना पत्र (धारा 41 द0प्र0सं0) प्रपी–11, मैकेनिकल रिपोर्ट प्रपी–12,

नुकसानी पंचनामा प्रपी–13, शव सुपुर्दनामा रसीद प्रपी–14, नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0–15, शव सुपुर्दनामा रसीद प्रपी–16, गवाहों के कथन प्रपी–17 व प्र0पी0–18, अंतिम प्रतिवेदन प्र0पी0–19, पति की जमीन की खसरा–खतौनी प्र0पी0–20 लगायत प्र0पी0–23, ऋण पुस्तिका प्र0पी0–24 जिकसी छायाप्रति प्र0पी0–24सी, आवेदकगण व मृतक के आधार कार्ड प्र0पी0–25 लगायत प्र0पी0–29 व पति के पेन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किये हैं।

(13) **आवेदक साक्षी छाया बाई (आ.सा.01) के द्वारा** अपने **प्रतिपरीक्षण** में यह व्यक्त की है कि घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नही थी। इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्र0पी0–1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट 7 दिन विलंब से दि0 15–07–22 को लेख की गयी है। इस तथ्य को स्वीकार की है कि प्र0पी0–3 के ए से ए भाग पर मोटर साइकिल एवं अज्ञात ग़ाडी का एक्सीडेंट होने का उल्लेख हैं स्वतः कही है कि उक्त बात किस व्यक्ति ने लिखायी है, उसे जानकारी नहीं है। उसके पति की दुर्घना पिकअप गाड़ी से हुई है जिसकी उसे जानकारी हो गयी थी।

(14) **आवेदक साक्षी संदीप सिंह (आ.सा.02)** के द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि दुर्घटना दिनांक 07.07.22 को शाम के समय अपने काम से मोटर साइकिल से ग्राम सिंगोट बाजार गया था। जहां से वापस आते समय एक पिकअप वेन बहुत तेजी से उसे ओवरटेक करते हुए निकली और 50 कदम आगे जाकर एक मोटर साइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी। दुघ ‍टना कारित वाहन का नंबर एमपी65–जीए0–1973 था, जो टक्कर मार कर आगे खड़ी हो गयी थी। उक्त दुर्घटना में मोटर साइकिल चालक को बायें हाथ व पैर में तथा सिर में गंभीर चोटें लगी थीं। घटना स्थल मछली पालन केंद्र के सामने सिंगोट से लछोरा के बीच मेन रोड है। उसने घटना देखी है। उसके सामने घटना हुई है। पुलिस दुर्घटना स्थल पर आ गयी थी व काफी भीड़ जमा हो गयी थी। पुलिस ने उसका नाम व मोबाइल नम्बर ले लिया था। फिर बाद में थाने बुलाकर उसके कथन लिये थे, जो प्रपी0–17 हैं जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(15) **आवेदक साक्षी संदीप सिंह (आ.सा.02) के द्वारा** अपने **प्रतिपरीक्षण** में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दुर्घटना उसके समय घटित हुई है। यह व्यक्त किया है कि घटना रात्रि 9–10 बजे की है। वह अपनी मोटरसाइकिल से था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन

पिकअप ने अन्य किसी दो मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने प्र0पी0–17 के अनुसार पुलिस को कथन नहीं दिया था। वह दुर्घटना के समय घटना स्थल से 50 कदम की दूरी पर था। इस तथ्य को अस्वीकार किया है जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो मृतक रोड पर पड़ा हुआ मिला था। स्वतः कहा कि पिकअप वाहन ने जिस व्यक्ति को टक्कर मारी थी वह उसके समक्ष हुई थी ओर दुर्घटना से मृतक ही गिरा था। इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि मृतक के परिवार को क्षतिलाभ पहुंचाने के लिए पिकअप वाहन का नम्बर क्र0–एम0पी0–65–जी0ए0–1973 बताया।

(16) प्रकरण में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी 1 प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन पिकअप के द्वारा टक्कर मारने के तथ्य बताये गये हैं। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1 और अन्वेषण के पश्चात् दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक के द्वारा गाड़ी के उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाये जाने के तथ्य स्थापित हुये हैं। घटना से संबंधित आपराधिक मामलों के दस्तावेजों का अनावेदकगणों की ओर से कोई भी खण्डन नहीं होने से उनकी अंतर्वस्तुओं पर अविश्वास का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है कि अनावेदक क्रं0 01 जो कि वाहन का चालक एवं अनावेदक क्रमांक 02 जो वाहन का स्वामी है और उसकी तरफ से अधिकरण में उपस्थित होकर इस संबंध में आवेदन के खण्डन में कोई कथन नहीं लिया है कि दुर्घटना उसके द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को चलाये जाने के कारण घटित नहीं हुई है।

(17) उक्त संबंध में **न्याय दृष्टांत National Insurance company Limited VS. Akhilesh Dwivedi & other 2007(11) MPWN 21** अवलोकनीय है, जिसमें प्रतिपादित विधि का पैरा क्रं0 09 प्रासंगिक होने से यहां उद्धरणीय हैः–

"9. Insurance company has not examined any witness to rebut the evidence led by the claimant. Division Bench of this Court in the case of New India Assurance Co. Ltd. v. Ayesha Begum and a number of judgments has taken a view that if driver of the offending vehicle is not examined in rebuttal, then the court should draw an inference that the accident has taken place due to rash and negligent driving of the offending vehicle."इस प्रकार आवेदकगण के द्वारा दुर्घटना के संबंध में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की अंतर्वस्तु पर प्राथमिक दृष्टि से अविश्वास का कोई आधार

दर्शित नहीं होता है, वाहन चालक का साक्ष्य के लिये उपस्थित न होना, वाहन के मिथ्या आलिप्त किये जाने के संबंध में कोई शिकायत न होना और उसका कोई स्पष्टीकरण न देना तथा छाया बाई अना0क0–1 व संदीप अ.सा.2 के अखंडित बयान प्रश्नगत् वाहन एमपी65–जीए–1973 के द्वारा ही उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से टक्कर मारी गयी और आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज जिसके द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 के विरूद्ध उपेक्षा एवं उतावलेपन से उक्त वाहन चलाये जाने के तथ्य अन्वेषण और अभियोग पत्र से स्थापित होते हैं।

(18) इस प्रकार उपर्युक्त साक्ष्य एवं उससे संबंधित तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि दिनांक 07.07.2022 को शाम के लगभग 09:30 से 09:40 बजे के मध्य स्थान मछली पालन केन्द्र के सामने सिगोंट से लछोरा के बीच मेन रोड पर, अना0क0–1 द्वारा वाहन पिकअप वेन–क0 एम.पी. 65–जी0ए0–1973 को उपेक्षा या उतावलेपनपूर्वक चलाते हुए मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर **सुखदेव मौर्य** की मृत्यु कारित की। तदानुसार वाद प्रश्न कं0 01 का निष्कर्ष **प्रमाणित** में दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक–02 व 03 का निष्कर्ष

(19) जहां तक दुर्घटना दिनांक को वाहन पिकअप वेन क0–एम0पी0–65–जी0ए0–1973 के बीमित होने और बीमा पॉलिसी के शर्तों के उल्लंघन में संचालित किये जाने का प्रश्न एवं तथ्य है, उक्त संबंध में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया वाहन पिकअप वेन–क0 एम.पी.65–जी0ए0–1973 दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बीमा कंपनी के अंतर्गत बीमा अवधि दिनांक 01.11. 2021 से 31.10.2022 तक के लिए बीमित है और घटना दिनांक 07.07.2022 की है। इस प्रकार दुर्घटना कारित करने वाला वाहन घटना दिनांक को बीमित दर्शित है और उसके संबंध में अनावेदक कं0 03 बीमा कंपनी के द्वारा कोई खंडन भी नहीं किया गया है।

(20) **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम स्वर्ण सिंह वगैरह ए0आई0आर0 2004 एस0सी0 1531** में यह अभिनिर्धारित किया है कि यह प्रमाण भार बीमा कंपनी पर है कि वह साबित करे की वास्तविक रूप से प्रश्नगत बीमित वाहन वैधानिक बीमा की परिसीमाओं से परे संचालित किया गया। जबकि बीमा कंपनी अनावेदक कं0 03 की ओर से कोई भी परिसाक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं

किया गया है और न ही उसे स्थापित/प्रमाणित किया है। अतएव यह तथ्य अप्रमाणित है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को बीमा पॉलिसी के शर्तों के उल्लघंन में चलाया जा रहा था। **अतः वाद प्रश्न कं0 02 एवं 03 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।**

वाद प्रश्न कमांक 4 का निष्कर्ष

(21) जहॉ तक प्रकरण में दुर्घटना मोटर साइकिल चालक के लापरवाही एवं योगदायी उपेक्षा के कारण घटित होने का संबंध है। न्यायालय का मत है कि जब तक प्रत्यक्ष एव विश्वसनीय साक्ष्य से यह स्थापित न किया जाये कि वास्तविक रूप से मृतक के उपेक्षा एवं उतावलेपन के कारण दुर्घटना कारित हुई, योगदायी उपेक्षा का संदर्भ नहीं लिया जा सकता है। प्रकरण में जिस प्रकार दुर्घटना रात्रिकालीन घटित हुई और दुर्घटना कारित करने वाहन द्वारा पीछे से टक्कर मारी गयी, वहां पर मोटरसाइकिल चालक की योगदायी उपेक्षा प्रमाणित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त अना0क0–1 न्यायालय में साक्ष्य हेतु भी उपस्थित नहीं हुआ है, जिससे वह अपनी वाहन पिकअप क0–एम0पी0–65–जी0ए0–1973 को चलाने की अवस्थिति व परिस्थिति को स्पष्ट कर सके। अतएव उक्त बिन्दु पर बीमा कंपनी को कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। **अतः वाद प्रश्न कं0 04 का निष्कर्ष ''अप्रमाणित'' में दिया जाता है।**

वाद प्रश्न कमांक–5 का निष्कर्ष

(22) जहां तक क्षतिपूर्ति राशि की मात्रा का प्रश्न एवं तथ्य है, उक्त संबंध में सर्वप्रथम मृतक की आय एवं उसकी हानि को देखा जाना आवश्यक है। **उक्त संबंध में छाया बाई (आ.सा.01)** ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया उसके पति दुर्घटना के पूर्व हृष्ट–पुष्ट थे। वह दूध का व्यवसाय एवं खेती किसानी का व्यवसाय करते थे। उसके पति के पास तीन से चार भैंसें थीं। वह दूध व खेती किसानी का धंधा अपने गांव से करते थे। जिससे उन्हें तकरीबन 10,000/–रू0 प्रतिमाह आय हो जाती थी। उसके पति के पास लगभग 10 एकड़ सिंचित जमीन थी, जिसमें वह गेहूं, चना व सब्जियां लगाते थे, जिससे उसके पति को लगभग 4 से 5 लाख रू0 सालाना आय प्राप्त होती थी। उक्त जमीन पर केसीसी लोन करीबन 5 लाख रू0 था। उसके पति पर उसके सहित, उसके बच्चे व उसकी सास आश्रित थे। उक्त आय से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो जाने के कारण वे सब पूर्ण रूप से आय से वंचित हो

गये हैं। इसके अतिरिक्त मृतक अपने कार्य में उन्नति करके भविष्य में अधिक आय कमा सकते थे। उसके पति की मृत्यु हो जाने के कारण वे सभी भविष्य की आय से वंचित हो गये हैं। उसके पति के दाह संस्कार व तेरहवीं वगैरह में लगभग ढाई लाख रू0 खर्च हुये हैं।

(23) **छाया बाई (आ.सा.01) ने अपने प्रतिपरीक्षण** यह व्यक्त की है कि वर्तमान समय मे उसकी उतनी ही जमीन जितनी पति की मृत्यु के समय थी। इस तथ्य को स्वीकार की है कि उसकी जमीन गेंहू व चने की बुवाई व कटाई के समय मजदूर आते थे। इस तथ्य को स्वीकार की है कि साहूकारों के यहां और मंडी में अनाज बेचने की रसीद पेश नहीं की है। इस तथ्य को स्वीकार की है कि प्र0पी0–20 लगायत 23 तक की खसरा की प्रतियां प्रमाणित नहीं हैं। इस तथ्य को स्वीकार की है कि कृषि से होने वाली सालाना आय 4 से 5 लाख रू0 तक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस तथ्य को स्वीकार की है कि उसके पास 10 एकड़ जमीन है, जिस पर वह खेती कर रही है।

(24) **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांतः–संतोष देवी एवं अन्य बनाम महावीर सिंह एवं अन्य 2018 (4) ए सी सी डी 1919 (एस सी)** *में यह अधिनिर्धारित किया गया है कि–यथार्थवादी दृष्टिकोण मत को अपनाते हुये व्यवसाय की प्रकृति, दुर्घटना की तारीख और मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आय का निर्धारण करना चाहिये।*

(25) प्रस्तुत मामलें में यद्यपि मृतक के आय के प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है परंतु न्यायालय का मत है कि किसी भी प्रमाणिक साक्ष्य के अभाव में मृतक के आर्थिक व सामाजिक स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का निराकरण किया जाना उचित होगा। मृतक के पास जमीन थी, ऐसा तथ्य आया है तथा उसकी जमीन में काम करने वाले लोग आते थे। इस प्रकार खेती कराये जाने की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मृतक की आय न्यूनतम मजदूरी से थोड़ा सा उपर लेना न्यायोचित होगा। इस प्रकार की मृतक की आय 10,000/–रू0 प्रतिमाह मानना उचित होगा।

(26) जहां तक **मृतक सुखदेव मौर्य** के आयु का संबंध है उसके संबंध में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज शव परीक्षण के लिये आवेदन प्र0पी0–2 पर उसकी आयु 36 वर्ष, नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0–15 में आयु 36 वर्ष और मर्ग इंटीमेश प्रदर्श पी 5 में भी मृतक की आयु 36 वर्ष अंकित है। परन्तु

आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत किया गया आधार–कार्ड प्रदर्श पी–29 में उसकी जन्मतिथि 01–01–1984 लेख है, उक्त संबंध में प्रस्तुत किया गया आधार–कार्ड ही प्रमाणिक साक्ष्य मानना उचित होगा। इस प्रकार मृतक की आयु 38 वर्ष से कुछ अधिक अर्थात् 39 वर्ष मानना उचित होगा।

(27) चूँकि मृतक की आयु 39 वर्ष से नीचे की है तो उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी तथा अन्य 2018(11) एम0पी0एल0जे0 पृष्ठ 344 (एस0सी0) एवं हेमराज बनाम ओरियंटल इंश्योरेंस एल.टी.डी. एवं वगै0 एस.एल.पी. (सिविल) नंबर 22134 एवं 2016 निर्णित दिनांक 22 नवंबर 2017 और 07 मई, 2021 को निर्णीत राहुल शर्मा एवं एक अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कं.लि. एवं अन्य में अभिनिर्धारित है कि:–**मृतक, जो स्वतः नियोजित व्यक्ति था और 40 वर्ष से कम आयु का था, के मामले में उनकी भावी संभावनाओं के लिये 40 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। भविष्य की प्रत्याशा के लिये प्रतिमाह आय की 40 प्रतिशत स्व नियोजित व्यक्ति के संबंध में जोडा जाना उचित होगा। उक्त परिस्थिति में मृतक सुखदेव मौर्य की आय 10,000 / रूपये का 40 प्रतिशत 4,000 / –रूपये होगा। उक्त परिस्थिति में मृतक की प्रतिमाह आय 14,000 / –रूपये मानी जायेगी और प्रतिवर्ष मृतक की आय 1,68,000 / –रूपये मानी जायेगी।

(28) जहां–तक आश्रितता का संबंध है कि प्रकरण में आवेदिका कमांक 01 मृतक की पत्नी एवं आवेदक कमांक–02 पुत्र व 3 पुत्री हैं। आवेदिका क0–4 मृतक की माता है और वह कई प्रकार से मृतक पर आश्रित हो सकती है। अनावेदकगण की ओर से ऐसा कोई भी तथ्य भी अभिलेख पर नहीं लाया जा सका है, जिससे यह विदित हो सके, कि मृतक मृत्यु के समय अस्वस्थ्य था, अथवा वह कोई काम–काज करने की स्थिति में नहीं था। इस प्रकार प्रकरण में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है, कि मृतक पर वे किसी–न–किसी दृष्टि से आश्रित थे। यह एक सामान्य परिकल्पना का विषय है, कि जिस प्रकार से वृद्ध वृक्ष भले ही फल प्रदान न करे, परंतु वह छाया अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक प्रदान करता है। उसी प्रकार परिवार में वृद्ध व्यक्ति चाहे कितनी भी उम्र का क्यों न हो, परिवार के लिये वह सदैव बहुमूल्य होता है, वह मार्गदर्शन प्रदान करता है, अतिथिगण का स्वागत कर सकता है, परिवार के अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति में घ ार एवं परिवार के छोटे बच्चों आदि की देख–भाल कर सकता है। इस प्रकार

मृतक पर उसकी माता भी आश्रित है।

(29) इस प्रकार प्रकरण में आवेदिका क्0 01 मृतक की पत्नी एवं आवेदक क्0 02 पुत्र एवं 3 पुत्री हैं व आवेदिका क्0–4 मृतक की माता है। वे सभी लोग मृतक के आश्रित माने जायेंगे। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत **सरला वर्मा एवं अन्य विरूद्ध दिल्ली ट्रॉसपोर्ट कॉर्पोरेशन एवं अन्य 2009 ए0 सी0जे0 1298** के अनुसार मृतक यदि जीवित रहता तो उसके परिवार में लगभग ''चार'' सदस्य है तो अपनी आय का 1/4 भाग व स्वयं पर व्यय करता हुआ मानने पर आवेदकगण की मृतक पर आश्रितता 1,26,000/–रू0 वार्षिक होती है।

(30) जहां तक गुणांक का संबंध है मृतक की उम्र 38 वर्ष से उपर मानते हुए 39 वर्ष माना गया है। न्याय दृष्टांत **सरला वर्मा एवं अन्य विरूद्ध दिल्ली ट्रॉसपोर्ट कॉर्पोरेशन एवं अन्य 2009 ए0 सी0जे0 1298** के प्रकाश में **15** का गुणक अनुसरण करना न्यायोचित है। इस प्रकार आश्रितता की राशि 1,26,000**/–रूपये** गुणा 15 अर्थात् 18,90,000**/–रूपये** होती है।

(31) मृतक की मृत्यु से उसकी पत्नी आवेदिका कमांक 01 श्रीमती छाया बाई एवं साहचर्य से वंचित हुई है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **नेशन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी तथा अन्य 2018(11) एम0पी0एल0जे0 पृष्ठ 344 (एस0सी0) तथा मैगमा जनरल इंश्योरेंस बनाम नानू राम एवं अन्य 2018 ए.सी.जे.2782** में प्रतिपादित विधि के प्रकाश आवेदिका क्0 01 को दाम्पत्य सुख एवं साहचर्य की हानि के लिये 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़कर कुल **44,000/– रूपये** और आवेदक कमांक 02, 03 **को भी 44,000–44,000/–रूपये** तथा **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी तथा अन्य 2018(11) एम0पी0एल0जे0 पृष्ठ 344 (एस0सी0)** में प्रतिपादित विधि का अनुसरण करते हुये अंतिम संस्कार एवं संपदा की हानि की मद में 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़कर कमशः **16,500/–रूपये** एवं **16,500/–रूपये** आवेदकगण को दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

(32) अतः उपर्युक्त विवचेना के आधार पर इस मामले में आवेदकगण, अनावेदकगण से कुल **18,90,000 + 44,000 + 44,000 + 44,000 + 16,500 + 16,500 = अर्थात् 20,55,000/–(बीस लाख पचपन हजार रूपये)** क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के पात्र है। अतः तदानुसार **वादप्रश्न क्0 03** का निराकरण आवेदकगण के पक्ष में किया जाता है।

वादप्रश्न कं0–06
सहायता एवं व्यय

(33) परिणामतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दावा याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर यह अधिनिर्णय पारित करते हुए आदेश दिया जाता है कि:–

(01) अनावेदकगण संयुक्ततः अथवा पृथकतः आवेदकगण को क्षतिपूर्ति राशि **20,55,000/–(बीस लाख पचपन हजार रूपये)** अदा करें।

(02) प्रकरण में दिलाई गई उक्त संपूर्ण राशि पर दावा दायरी दिनांक से संपूर्ण अदायगी दिनांक तक 07 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अनावेदकगण, आवेदकगण को अदा करेंगे।

(03) अनावेदकगण द्वारा क्षतिपूर्ति व ब्याज राशि जमा करवाये जाने पर आवेदकगण को संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि 20,55,000/–(बीस लाख पचपन हजार रूपये) का भुगतान इस प्रकार से किया जावे–

क.	आवेदकगण के नाम	आवेदकगण के संबंध में अधिनिर्णित राशि का विवरण	नगद बचत खाते के माध्यम से भुगतान	राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में जमा किये जाने का विवरण
1.	श्रीमती छाया बाई पत्नी स्व. सुखदेव मौर्य राजपूत, आयु लगभग 36 साल, (मृतक की पत्नी)	11,00,000/रू (ग्यारह लाख रू.)	**2,00,000/–** (दो लाख रू.)	**9,00,000/–** (नौ लाख रू.) में से 3,00,000/– रू. (तीन लाख) रू0 1 वर्ष के लिए, शेष 3,00,000/– रू. (तीन लाख रू.) 2 वर्ष

				और पुनः शेष 3,00,000/– रू. (तीन लाख) रू. 3 वर्ष के लिये
2.	ऋषि कश्यप मौर्य पिता स्व0 सुखदेव मौर्य राजपूत, आयु लगभग 17 साल, (मृतक का पुत्र)	**4,00,000/–** (चार लाख रू.	–	**4,00,000/–** (चार लाख रू.वयस्क होने तक
3.	गौरी मौर्य पुत्री सुखदेव मौर्य राजपूत, आयु लगभग 15 साल, (मृतक की पुत्री)	**4,00,000/–** (चार लाख रू.	–	**4,00,000/–** (चार लाख रू.वयस्क होने तक
4.	श्रीमती शांता बाई पत्नी स्व दातारसिंह मौर्य राजपूत, आयु लगभग 72 साल, (मृतक की माता) संरक्षिका माता श्रीमती छाया बाई पत्नी स्व.सुखदेव मौर्य राजपूत, निवासी–मकान न0–321, राम मंदिर चौक, ग्राम मोरदड, पोस्ट सिंगोट जिला खंडवा पूर्व निमाड़, म.प्र. पिन कोड–450881 सभी हाल निवासी–ग्राम रतनपुर सड़क जिला भोपाल।	1,55,000/– रू (एक लाख पचपन हजार रू.)	**1,55,000/–रूपए** (एक लाख पचपन हजार रू.)	–

(04) प्रकरण में आवेदकगण को यदि कोई अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि अदा की गई हो, तो वह कुल क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित की जावे।

(05) अनावेदकगण संयुक्ततः या पृथकतः स्वयं और आवेदकगण का वाद–व्यय वहन करेंगे।

(06) अधिवक्ता शुल्क सूची अनुसार अथवा प्रमाणित होने पर जो भी कम हो जोड़ी जावे।

तदानुसार व्यय तालिका बनाई जाये।

''अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।''

''मेरे उद्बोधन पर टंकित''

(स्वंय प्रकाश दुबे)
प्रथम जिला न्यायाधीश के द्वितीय
अतिरिक्त सदस्य मो0दु0दा0अधि0
भोपाल, जिला–भोपाल म.प्र.

(स्वंय प्रकाश दुबे)
प्रथम जिला न्यायाधीश के द्वितीय
अतिरिक्त सदस्य मो0दु0दा0अधि0
भोपाल, जिला–भोपाल म.प्र.

SWAYAM PRAKASH DUBEY

Digitally signed by SWAYAM PRAKASH DUBEY
Date: 2023.09.29 18:22:38 +0530